दिनांक- 04.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा एक **वांरटी अभियुक्त जावेद पुत्र गुलशेर नि0 ग्राम पटना उर्फ नयांबासं थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या- 3803/23 धारा- 380/411 भादवि सहारनपुर को दिनांक 04.07.2024 को ग्राम पटना उर्फ नयांबास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

अभियुक्त जावेद पुत्र गुलशेर नि0 ग्राम पटना उर्फ नयाबांस थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0— 073/2015 धारा—379/411 भादवि थाना चिलकाना स0पुर।
मु0अ0सं0—414/2017 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना स0पुर।
मु0अ0सं0—322/2018 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना स0पुर।
मु0अ0सं0—320/2018 धारा—380/411 भादवि थाना चिलकाना स0पुर।
मु0अ0सं0—137/2019 धारा—3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा रिक्शा चालक से लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 520/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2024 को वादी मोनू पुत्र जीत सिंह नि0 ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर सहारनपुर ने थाना हाजा उपस्थित आकर एक किता प्रार्थना पत्र बाबत अनुज उर्फ घोसी पुत्र सुभाष नि0 ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर व उसके तीन अन्य साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की जेब से 1000 रूपये व मोबाईल फोन छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/24 धारा 392 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 04.07.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त लूट की घटना में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक वांछित अभियुक्त **अनुज उर्फ घोसी पुत्र सुभाष निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर** को रामकली मैमोरियल हाईस्कूल के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट के 520/- रुपये बरामद। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि मै व विशाल उर्फ विशु हम दोनो दोस्त है और दिनांक 26.06.24 को हम दोनो पुजंनेकी पुल के पास खड़े होकर बाते कर रहे थे कि एक रिक्शा वाला वहाँ से होकर गुजरा तो हमने लालच मे आकर उस रिक्शा वाले से उसका मोबाईल व 1000 रुपये छीन लिये थे। 700 रुपये मैने अपने पास रख लिये थे व 300 रुपये व मोबाईल विशाल उर्फ विशु ले गया था। मेरी जेब से जो 520 रुपये मिले है वह उन्ही 700 रुपये मे बचे हुये है। विशाल उर्फ विशु इस समय कहा है मुझे इस बात की जानकारी नही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

अनुज उर्फ घोसी पुत्र सुभाष निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 432/21 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 433/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 23/24 धारा 379/411 भदावि थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 125/24 धारा 392/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

520/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 532 ऋषिपाल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. का0 811 दीपक कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 04.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत करायी गयी मालमुकदमाती कुल 118 लावारिश/लादावा वाहनो की नीलामी, जिससे जीएसटी सहित कुल 7,67,000/- रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

- **कुल 118 माल मुकदमाती वाहनों की निलामी**
- **मुल्यांकन की कुल धनराशि- 4,48,200/- रुपये**
- **नीलामी धनराशि- 6,50,000/- रुपये**
- **बोली दाता- नौशाद पुत्र कालू निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना ननौता जनपद सहारनपुर**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय नकुड़ व श्रीमति संगीता राघव की अध्यक्षता में श्रीमान जिलाधिकारी, सहारनपुर महोदय द्वारा गठित टीम जिसमें क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री एस.एन. वैभव पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री एम.पी. सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक नकुड़, वरिष्ठ उ0नि0 व हेड़ मोहर्रिर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना नकुड़ परिसर में लम्बे समय से खड़े लावारिस एवं लादावा कुल 118 वाहनों (11 चार पहिया/01तीन पहिया/106 दो पहिया) माल जिनकी आरटीओ कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 4,48,200/- निर्धारित कराकर कार्यक्रम के अनुसार थाना नकुड़ परिसर में नीलामी करायी गयी। जिसमें कुल 74 बोली दाताओं द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया तथा उच्चतम बोली 6,50,000/- रूपये लगायी गयी। जिससे जीएसटी सहित कुल 7,67,000/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ । **उच्च बोली दाता श्री नौशाद पुत्र कालू निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना ननौता जनपद सहारनपुर** के हक में नीलामी छोड़ी गयी।

नीलाम हुए मालमुकदमाती कुल 118 वाहनों का विवरण

11 वाहन - चार पहिया

01 वाहन - तीन पहिया वाहन

106 वाहन - दो पहिया वाहन

नीलाम कराने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. श्री एम.पी. सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर
2. श्री एस.एन. वैभव पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी नकुड़ सहारनपुर
3. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. हैड मोहर्रिर 42 मनोज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 04.07.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा एक **वारण्टी अभियुक्त जवर सिह पुत्र रतिराम नि0 काजीपुरा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर** वाद सख्यां 291/19 मु0अ0सं0 289/05 धारा 325/323/504 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर मा0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम सहारनपुर दिनांक पेशी 11.07.2024 को काजीपरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जवर सिहं उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभि0 जवर सिह पुत्र रतिराम नि0 काजीपुरा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. हैड का0 1003 सुशान्त सिहं थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

दिनांकः 04.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.05.2024 को वादी पिन्टू पुत्र दयाराम नि0 ग्राम मकबरा थाना देवबंद सहारनपुर ने अपने घर मे चोरी होने के संबंध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 235/24 धारा 380 भादवि तथा दिनांक 03.07.2024 को वादी श्री बोबी कुमार पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ने घेर से गेहूँ चोरी के प्रयास के संबंध मे थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 347/2024 धारा 305(क)/317(IV)/317(V) बीएनएस बनाम **1.अहसान पुत्र असगर निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.नावेद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद संजीव कुमार के निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोगों का अनावरण करते हुए अभियुक्तगण **1.अहसान पुत्र असगर निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.नावेद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मय चोरी गये माल के साथ आज दिनांक 04.06.24 को गिफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः– गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त अहसान ने बताया कि मै और नावेद दोस्त है कल हम दोनों ग्राम कुरडी में घूम रहे थे उसी दौरान एक घर जो हमें खुला हुआ दिखाई दिया हम दोनो उसमें घुस गये। और एक गेंहू से भरा हुआ कट्टा उठाकर अपनी मोटरसाईकिल पर रखकर चल दिये। इसी दौरान कुछ लोगो ने हमें पकड लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा मैने व मेरे दूसरे साथी ने अब से लगभग 02 माह पहले ग्राम मकबरा में रोड पर ही स्थित एक घर से 20000/- रूपये एक एलईडी व कुछ कागजात चोरी किये थे। हमने एलईडी किसी चलते फिरते कबाडी को बेच दिया था व रूपये आपस में बांट लिये थे। जो मुझ पर रूपये थे वह मैने खाने पीने में खर्च कर लिये है और सामान का बंटवारा हमने साखन नहर के पास बाग में किया था। वही एक झाडी में हमने मकबरा गांव में उस घर से मिले बेकार कागज व सामान को काले रंग के बैग में रखकर फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः–

1. अहसान पुत्र असगर निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. नावेद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना रंग काला बिना नम्बर प्लेट
- 40 किग्रा गेहूँ

- 1500/- नगद रूपये
- 04 आधार कार्ड, 02 पासबुक, 01 परिवार रजिस्टर की नकल, 03 दिल्ली मेट्रो कार्ड, छायाप्रति राशन कार्ड, एक काले रंग का छोटा पर्स खाली व एक छोटा खाली लाल पर्स, बालाजी इक्ट्रोनिक्स एसी का बिल व सप्तऋषि इलैक्ट्रानिक्स बिल स्टेबलाईडर

<u>अभियुक्त अहसान हिस्ट्रीशीट नं0 76ए का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 22/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
2. मु0अ0सं037/15 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0सं073/22धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
4. मु0अ0सं0198/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
5. मु0अ0सं0231/16 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
6. मु0अ0सं0268/16 धारा 380/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
7. मु0अ0सं0269/16 धारा 380/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
8. मु0अ0सं0270/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
9. मु0अ0सं0421/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
10. मु0अ0सं0637/17 धारा 380/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
11. मु0अ0सं0682/17 धारा 307/399/402 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
12. मु0अ0सं0683/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
13. मु0अ0सं0692/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
14. मु0अ0सं0734/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
15. मु0अ0सं0835/147 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
16. मु0अ0सं0272/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
17. मु0अ0सं0698/23धारा 380/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 235/24 धारा 380/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 विकास चारण, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0के0पी0सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का0 अरूण सोलंकी, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0 ऋषभ देशवाल, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. का0 गौरव दंगी, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: **04.07.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 29.03.2024 को वादिनी श्रीमती सीमा पत्नी चन्द्रकेतु नि0 प्रकाश लोक लवर कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर चाकू से हमला करने देने की सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 307/504/34 भादवि बनाम वीशू उर्फ विराट के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त वीशू उर्फ विराट पुत्र विनोद ठाकुर नि0 मैट्रो वाली गली खलासी लाइन थाना सदर बाजार सहारनपुर** को मैट्रो वाली गली खालासी लाइन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वीशू उर्फ विराट के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पताः-

वीशू उर्फ विराट पुत्र विनोद ठाकुर नि0 मैट्रो वाली गली खलासी लाइन थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 406 विनोद थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 616 अमित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 04.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 24.5.2024 को वादी श्री आर्यन पुत्र संदीप कुमार नि0 बलिया खेडी ब्लाक के पीछे श्री राय विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 294/24 धारा 307/506/120बी/34 भादवि 3/25/27 आयुध अधि0 तथा दिनांक 27.05.2024 को वादी उपरोक्त द्वारा मु0अ0स0 302/024 धारा 307/34 भादवि 3/25/27 आयुध अधि0 बनाम उदय पुत्र संजील उर्फ संजीव निवासी ढकदेई थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत कराया था। अभियुक्त ने दिनांक 28.06.2024 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अभियोगों उपरोक्त के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशो, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थाना प्रभारी श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दोनो घटनाओ मे प्रयुक्त किये गये देशी तमंचे की बरामदगी के क्रम मे दिनांक 04.07.2024 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त उदय पुत्र संजील उर्फ संजीव उपरोक्त को पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर काशीराम कालोनी, आम के बाग के पास झाडियो से पारदर्शी पन्नी मे 01 नाजायज तमंचा 315 बोर मय जिंदा कारतुस 315 बोर बरामद किया गया। पीसीआर पर लाये गये अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता –

उदय पुत्र संजीव निवासी ढकदेई थाना नकुड जनपद स0पुर

अभियुक्त उदय का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 448/21 धारा 323/324/352 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 294/24 धारा 307/506/120बी/34 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 302/024 धारा 307/349 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
- है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार।
- का0 1340 पुष्पेन्दर थाना सदर बाजार।
- है0का0 406 विनोद थाना सदर बाजार।
- है0का0 616 अमित थाना सदर बाजार।

दिनांक: **04.07.2024**

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15, सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 11.08.2016 को वादी श्री राजकुमार पुत्र रामलाल निवासी पठलोकर थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त राहुल पुत्र सुरेन्द्र निवासीग्राम मुल्लानागराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादी व वादी के भाई विनोद के घर में घुसकर परिवार वालो के साथ मारपीट कर 02 लाख 56 हजार रूपये व सोने/चांदी के जेवरात चोरी करने की सूचना पर मु0अ0सं0 295/2016 धारा 395,397,412 भादवि बेहट पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 204/2017 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 विशेष गैगस्टर न्यायालय जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **"Operation Conviction"** में चिन्हित मॉनिटरिग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 04.07.2024 को अभियुक्त राहुल पुत्र सुरेन्द्र मु0अ0सं0 295/2016 धारा 395,397,412 भादवि में जुर्म इकबाल के आधार पर 07 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल पुण्डीर
विवेचक निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही
पैरोकार का0 1752 रवि थाना बेहट